# न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 100/2023 तारीख दायर :–14.02.2023 दिनांक निर्णय :–10.03.2023

पटवारी हल्का नयागावबोलका तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान।

बनाम

धन्नालाल पुत्र रामदेवा जाति मीना निवासी डाबला मीणा तहसील राजगढ़ जिला अलवर

अन्तर्गत धारा 91, राजस्थान
भू0 राजस्व अधिनियम–1956

आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया, अप्रार्थी द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का पलवा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। धन्नालाल पुत्र रामदेवा जाति मीना निवासी डाबला मीणा तहसील राजगढ़ जिला अलवर की ओर से उनका पुत्र बद्री प्रसाद उपस्थित रहा। गैरसायल के द्वारा नोटिस जवाब एंव वकालतनाम एड0 विश्वास मित्तल एंव धमेन्द्र गुप्ता का पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। नियत बहस दिनांक को गैरसायल एंव एडवो0 के नाम की आवाज लगाई गई किन्तु वे अनुपस्थित रहे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। गैरसालय के नोटिस जवाब में अतिकमण नहीं करना अंकित किया है। अतिक्रमी की मंशा आराजी खसरा नम्बर 362 रकबा 0.10 है0 किस्म गै0मु0रास्ता राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण कायम रखने की प्रतित होती है, चूँकी राजकीय भूमि पर गैरसायल द्वारा अनाधिकृत रूप से सम्वत 2079 में पानी का कुण्ड़ा बनाकर कब्जा कर अतिक्रमण किया गया है। पटवारी हल्का पलवा रिपोर्ट के अनुसार अतिकमी का अतिकमण सिद्व होता है। अतिक्रमीयान काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि:–

अतिक्रमी श्री धन्नालाल पुत्र रामदेवा जाति मीना निवासी डाबला मीणा तहसील राजगढ़ जिला अलवर वाके ग्राम डाबला मीणा के आराजी ख0न0 आ0ख0न0 362 रकबा 0.10 किस्म गै0मु0रास्ता राजकीय सिवायचक भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान 1.000 की 50 गुणा में मु0 50.00/–रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावें। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों ढिगावड़ा/पटवारी हल्का पलवा को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

आज दिनांक 10.03.2023 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नायब तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

रा. ले. स. 4 वर्ष 2022-23
के पृष्ठ संख्या 25 पर सि.च. 50/-
राशि कायम किये गये।